पत्रांक 1/12/2018-वीएस (सीआरएस)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066
V.S. Division, West Block - 1, R.K. Puram, New Delhi - 110066
ई-मेल : drg-crs.rgi@nic.in

दिनांक - 28 जुलाई, 2021

सेवा में,

समस्त राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य रजिस्ट्रार

विषय- जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में सलाह।

महोदय/महोदया,

आप जानते होंगे कि देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और तद्नुसार राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। जन्म, मृतजन्म और मृत्यु की घटनाएं घटना के स्थान पर दर्ज की गई हैं, जहां भी हुई थी।

2. केंद्रीय स्तर पर भारत का महारजिस्ट्रार (आरजीआई) पूरे देश में पंजीकरण की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करता है। वर्तमान प्रणाली राज्य शासित है और कानून का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के पास है, जो इसके लिए मुख्य रजिस्ट्रार को राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है । जिला स्तर पर, जिला पंजीयक जन्म और मृत्यु संबंधित जिले में आरबीडी अधिनियम और नियमों के प्रावधान और स्थानीय क्षेत्र स्तर पर निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है, रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में हुई जन्म और मृत्यु से संबंधित जानकारी दर्ज करके घटना को पंजीकृत करे और संबंधित पंजीकरण रिकॉर्ड से निवेदक को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे ।

3. कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित मौजूदा पोर्टल/लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा कुछ मामलों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

4. ऑनलाइन पोर्टल यूजर/लॉगिन आईडी के दुरुपयोग से बचने के लिए सक्रिय उपयोगकर्ताओं (राज्य/जिला/पंजीकरण इकाइयों/अस्पतालों आदि) के विवरण की जांच सत्यापन और हर महीने डेटाबेस को नियमित आधार पर अद्यतन किया जा सकता है। यदि कोई उपयोगकर्ता निष्क्रिय पाया जाता है (यानी वर्तमान में पोर्टल/सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहा है बल्कि उपयोगकर्ता/लॉगिन आईडी बनायी गई थी), तो इसे संबंधित पोर्टल/सॉफ्टवेयर के डाटाबेस से तुरंत हटाया जा सकता

है । यह भी अनुरोध किया जाता है कि सभी उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड साझा ना करने, समय-समय पर पासवर्ड बदलने और पोर्टल पर पहचान को अद्यतन करने के लिए निर्देश जारी करें।

5. यह सुनिश्चित किया जाए कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आरबीडी एक्ट, 1969 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जारी किए जाएं। उपयोगकर्ता/लॉगिन आईडी के दुरुपयोग और किसी उपयोगकर्ता या फर्जी पंजीकरण के पासवर्ड के मामले में, मुख्य रजिस्ट्रार को उचित कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, जो कानून के तहत आवश्यक है।

6. पंजीकरण प्रणाली के प्रमुख के रूप में, मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में पंजीकरण प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए अधिनियम के संगठनात्मक और परिचालन पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। इसलिए अनुरोध है कि आरबीडी एक्ट, 1969 के कानूनी प्रावधानों और उपरोक्त निर्देशों के साथ पंजीकरण के लिए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया को अनुपालन के लिए सभी पंजीकरण प्राधिकरणों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(संध्या सिंह)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

प्रतिलिपि -

(1) सभी राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(2) सभी निदेशालय के निदेशकों के अनुसरण के लिए